उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No. : 547 दिनांक/Date : 18/07/2019

।। कार्यालय ज्ञाप ।।

विषयः– आयोग की वेबसाइट पर "संवाद" नाम से एक अलग स्तम्भ प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

विदित है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राज्य में अधीनस्थ सेवाओं(समूह 'ग') के रिक्त पदों पर चयन का दायित्व उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधिनियम–2014 से प्राप्त है। समूह 'ग' के पद अत्यंत विविधता के पद है जिनमें शैक्षिक अर्हताओं में भी अत्यंत विविधतायें है। इस प्रकार आयोग कई तकनीकी शैक्षिक अर्हताओं, शारीरिक दक्षता अर्हताओं, अन्य कौशल अर्हताओं से संबंधित परीक्षायें आयोजित करता है, जो एक जटिल कार्य है। सभी अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों व जनसामान्य को यह समझना होगा कि गुणवत्तापूर्ण, शुचितापूर्ण व पारदर्शितापूर्ण चयन एक जटिल व समय साध्य प्रक्रिया है। दूसरी ओर राज्य सरकार की सेवा में आने के इच्छुक युवक–युवती, जो आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भाग लेते है या उनके अभिभावकों आदि को चयन प्रक्रिया में विलम्ब होंने या अन्य मामलों में कठिनाई होंने से असंतोष हो सकता है।

वर्तमान तक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रियाओं से संबंधित सामान्य जानकारियां/सूचनायें दिये जाने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आयोग की ओर से उपयोगी जानकारी सभी अभ्यर्थियों को दिये जाने, आयोग को दूरभाष पर व ई–मेल पर तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर आयोग की ओर से सामान्य जानकारी या प्रतिक्रिया दिये जाने तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी विषय विशेष को अभ्यर्थियों व अन्य पक्षों के सामने रखने के लिए **"संवाद"** नाम से एक स्तम्भ प्रारम्भ किया जायेगा।

संवाद में दी जाने वाली जानकारी केवल सूचना के लिए है जो मात्र उस समय के लिए है व समय के साथ प्रगति होने पर इसमें भी परिवर्ततन स्वाभाविक है। ऐसे में इसे आयोग की ओर से निर्णय या विधिक पक्ष के रूप में न लिया जायें एवं न ही इसे आयोग की ओर से दिया गया आश्वासन समझा जाय। संवाद के साथ अभ्यर्थियों के लिए फीडबैक देने के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आयोग को अभ्यर्थियों से भी संवाद के लिए उपयोगी फीडबैक मिल सके। यह पूर्णतयाः सामान्य जानकारी या अंतरिम सूचना होगी। संवाद की विषय वस्तु भी अभ्यर्थियों या अन्य के द्वारा विभिन्न माध्यमों (पत्र, ई–मेल व समाचार पत्र आदि) से उठाये जाने वाले विषयों से आयेगी। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा अपनी ओर से अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी वार्तायें भी इसकी विषय वस्तु में सम्मिलित होंगी। यह भी स्पष्ट

क्रमशः--------(02)

उत्कृष्टता पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand

दूरभाष (कार्या०): 0135-2669658, फैक्सः 0135-2672902, वैबसाईटः www.sssc.uk.gov.in, ईमेलः chayanayog@gmail.com

करना है कि यह फोरम एक अभ्यर्थी या कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उठायी जाने वाली व्यक्तिगत या सीमित समस्याओं के लिए नहीं है। यह अभ्यर्थियों की सामूहिक जिज्ञासाओं व कठिनाइयों के संबंध में आयोग का तात्कालिक पक्ष रखने के लिए है। अतः इसे व्यक्तिगत कठिनाइयां उठाने का माध्यम न समझा जाये।

आयोग के ""**संवाद**" स्तम्भ के लिए संबंधित कार्मिकों द्वारा(स्वागती, कम्प्यूटर प्रोग्रॉमर तथा अन्य) ऐसे विषय सचिव के समक्ष लाये जायेंगे। सचिव द्वारा ऐसे सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए संबंधित अनुभागों/अधिकारियों से टिप्पणी/जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा उसके आधार पर संवाद स्तम्भ में दी जाने वाली जानकारी तैयार कर उस पर यथा आवश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा व उसके उपरांत आयोग के सचिव या अनुसचिव के हस्ताक्षर से यह सामग्री संवाद स्तम्भ पर सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित की जायेगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही अमल में लाई जायें व इस आदेश को भी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये। आदेश की प्रति आयोग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी परिचालित की जाये।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
सचिव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
4. मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
5. आयोग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण।
6. आयोग सूचना पट्ट हेतु।
7. गार्ड फाइल।

(संतोष बडोनी)
सचिव।